

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा ।

पत्रांक: 758/14-1

मथुरा:दिनांक: 01/09/2017

सेवा में,

प्रसिद्ध प्रबन्धक (परियोजना)

गैल गैस लि०, बी-35 एवं 36,

जुबिली टॉवर, सैक्टर-1,,

नोएडा, उ०प्र० ।

विषय :-

गैल गैस लि० द्वारा 8"/6"/4" व्यास की पाइप लाइन बिछाने हेतु आगरा-भरतपुर-जयपुर-राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-11 के कि०मी०-33.150 से 42.950 तक 0.886 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मथुरा में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर परियोजना के अन्तर्गत कोसी-नन्दागांव रोड, औद्योगिक क्षेत्र, सिहारा-वृन्दावन, छटीकरा-गोवर्धन, रिफाइनरी बी०पी०सी०एल० आउटलेट (यू०पी०एस०आई०डी०, औद्योगिक क्षेत्र) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-2 एवं अन्य मार्ग के किनारे पाइप लाइन बिछाने हेतु 3.8463 हे० संरक्षित वनभूमि कुल 4.5323 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति ।

सन्दर्भ :-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सैक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ की पत्र संख्या-8बी/यू.पी./09/31/2017/एफ.सी./225, दिनांक 22.08.2017

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में कृपया आप बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरण पर निधिवत् कार्यवाही की जा सके ।

1. बिन्दु संख्या-1 के अनुपालन में प्रभावित वनभूमि में 3.8463 हे० के दुगने क्षेत्र 7.6926 हे० में वृक्षारोपण कराने हेतु मु०-12645700.00 (रु० एक करोड़ छब्बीस हजार पैतालीस हजार सात सौ मात्र) प्रश्नगत भूमि के हस्तान्तरण प्रकरण संख्या पर प्रयोक्ता/याचक विभाग के पोर्टल पर स्वयं से चालान जनरेट कर बैंक में आर०टी०जी०एस०/एन०ई०एफ०टी० द्वारा जमा कराकर प्राप्ति रसीद की दो प्रतियाँ प्रमाणित कराकर इस कार्यालय उपलब्ध कराएँ ।
2. (क) बिन्दु संख्या-2 के अनुपालन में मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सि०) सं०-202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०सं०-568 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत निर्धारित एन०पी०वी० की धनराशि 3.8463 x 626000 प्रति हे० की दर मु०-2407784.00 (रु० चौबीस लाख सात हजार सात सौ चौससी मात्र) की धनराशि आप प्रश्नगत भूमि हस्तान्तरण प्रकरण संख्या पर प्रयोक्ता/याचक विभाग के पोर्टल पर स्वयं से चालान जनरेट कर बैंक में आर०टी०जी०एस०/एन०ई०एफ०टी० द्वारा जमा कराकर प्राप्ति रसीद की दो प्रतियाँ प्रमाणित कराकर इस कार्यालय उपलब्ध कराएँ ।
(ख) इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदुपरान्त ही निधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा ।
(ग) प्रयोक्ता अतिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी ।

3. बिन्दु संख्या-3 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण को यह बचनबद्धता देनी होगी कि विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं प्लान पर दर्शाया जाएगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे फॉरवर्ड एवं पीछे बैकवर्ड उनकी दशा बैयरिंग लिखने पर जो व्यय आएगा उसे उनके द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
4. बिन्दु संख्या-4 के अनुपालन में गैस पाइप लाईन डालने हेतु खुदाई के उपरान्त उत्सर्जित मलवे को ठीक प्रकार से उसी जगह पर भरा जाएगा एवं शेष मलवे को सुरक्षित स्थान पर निस्तारित किया जाएगा। यह कार्य करने के उपरान्त प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी को समय-समय पर अवलोकन कराया जायेगा।
5. बिन्दु संख्या-5 के अनुपालन में गैस पाइप लाईन बिछाने हेतु ट्रेन्च द्वारा खुदाई 0.70 मी० की चौड़ाई में ही की जाएगी तथा प्रयोजन समाप्त होने के उपरान्त स्वतः वनभूमि का प्रत्यावर्तन समाप्त हो जाएगा।
6. बिन्दु संख्या-6 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित योजना में किसी भी वृक्ष का घातन नहीं किया जाएगा एवं खुदाई के दौरान किसी भी वृक्ष की जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, खुदाई सुरक्षित रूप से की जाएगी।
7. बिन्दु संख्या-7 के अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को यह बचनबद्धता देनी होगी कि राज्य सरकार वर्तमान में तथा भविष्य में लागू सभी नियम कानून तथा दिशा-निर्देश का पालन करेगा।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं की अनुपालन आस्था पॉच-पॉच प्रतियों में यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से भारत सरकार को विधिवत् स्वीकृति हेतु अनुपालन रिपोर्ट भेजी जा सके।

भवदीय,

(मनीष मिश्रा)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

मथुरा

पत्रांक _____ दिनांकित

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, मथुरा को इस आशय से प्रेषित कि आप प्रस्तावित क्षतिपूरक वनीकरण योजना के वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं प्लान पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे फॉरवर्ड एवं पीछे बैकवर्ड उनकी दशा बैयरिंग लिखने पर जो व्यय आएगा उसका विस्तृत प्रावकलन एवं सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि याचक विभाग से धनराशि प्राप्त की जा सके।

(मनीष मिश्रा)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा।

11225-9

11225-9

19A

11225-9

72

प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य के भुगतान करने सम्बन्धी
बचनबद्धता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या-एफ0एन0-5-1/98-एफ0सी0 (भाग-2) दिनांक 17 व 18.09.2003 द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्धारित नेट प्रेजेन्ट वैल्यू (एन0पी0वी0) दरों के अनुसार धनराशि का गेल गैस लिमिटेड, नोएडा द्वारा वन विभाग के पक्ष में भुगतान कर दिया जायेगा।

क्र0सं0	प्रभावित क्षेत्रफल	एन0पी0वी0 की दर	एन0पी0वी0 की आकलित धनराशि
1	2	3	4
1	3.8463 हे०	रु० 6,26,000.00 प्रति हे०	रु० 24,07,783.80 अथवा रु० 24,07,784.00 (रु० चौबी लाख सात हजार सात सौ चौशसी मात्र)

क्षेत्रीय वन अधिकारी
नन्दुरा रज (नन्दुरा)

एस. पी. सिंह / S.P. SINGH
वरिष्ठ प्रबन्धक (परियोजना) / Sr. Manager (Project)
गेल गैस लिमिटेड / GAIL GAS LIMITED
फै-35एड35, जुबिली टॉवर, सेक्टर-1,
B-35 & 36, Jubilee Tower, 13th Floor, Sector-1,
नएफ-201301 (एन-1) INDIA-201301 (U.P.)

(S.K. Shukla)
प्रशासक निदेशक
सामाजिक वानिकी विभाग
नन्दुरा

मथुरा जनपद में गेज गैस लिमिटेड द्वारा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना के अन्तर्गत छाता-कोसी, कोसी-मन्दगांव रोड, औद्योगिक क्षेत्र, सिहाना-धुन्दावन, छटौकरा-गोवर्धन, रिफाइनरी-वी०पी०सी०एल० आउटलेट (यू०पी०एस०आई०डी०सी० औद्योगिक क्षेत्र) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-२ एवं अन्य मार्गों के किनारे ४"/६"/४" की व्यास की पाइप लाइन बिछाने में प्रभावित होने वाली ३.८४६३ हे० भूमि के हस्तान्तरण के दुगने क्षेत्र ७.६९२६ अर्थात् ८.० हे० क्षेत्र में क्षतिपूरक की वनीकरण योजना

१-रेंज का नाम :- मथुरा रेंज

२-स्थल का नाम :- एल०ए०सी०मील-९५-९६ सदर पटरी

३-क्षेत्रफल हे० :- ७.६९२६ हे०

४-विकास खण्ड :- फरह

५-संकेतित पौध :- ४८०८

अग्रिम मृदा कार्य वर्ष २०१६-१७

क्र० सं०	कार्य का विवरण	मात्रा/राशिया	इकाई	दर	धनराशि
१	२	४	५	६	७
१	क्षेत्र की सफाई करना	७.६९२६	प्रति हे०	१००००.००	७६९२६.००
२	सर्वेक्षण व सीमांकन	७.६९२६	प्रति हे०	४८.७१०	३७४.७१
३	मृदा परीक्षण	७.६९२६	प्रति हे०	२५०.००	१९२३.१५
४	क्षेत्र में विद्यमान वन निधि का कल्चर कार्य करना	७.६९२६	प्रति हे०	२५००.००	१९२३१.५०
५	पौधारोपण हेतु बन्धा निमोण कार्य 28x(3+1/2)x1.50 Mt.	84x625 = 52500	प्रति घ०मी०	७०.००	३६७५०००.००
	बन्धों के टॉप पर गड्ढा खुदान कार्य (०.६०x०.६०x०.६०)	४८०८	प्रति गड्ढा	१७.४०	८३६५९.२०
६	तारबाड़ हेतु सामग्री				
	अ- आर०सी०पी० खम्भों का मूल्य मय कर सहित (०.१५x०.१०x०.८०मी०)	१५००	प्रति नग	४०४.००	६०६०००.००
	ब- कॉटेदार तार का मूल्य (५ लड़)	५	प्रति मैट-१	८४८९२.५०	४२४४६२.५०
७	नहर रो-कमालिंग सेंट से सिंचाई व्यवस्था गये पाइप सहित	१	प्रति	७५०००.००	७५०००.००
८	क्षेत्र का स्थल भ्रमण, अग्रिम मृदा कार्य का निरन्तर निरीक्षण, गाहनों में डीजल/पेट्रोल आदि	७.६९२६	प्रति हे०	३०००.००	२३०७७.८०
९	अन्य व्यय	७.६९२६		११००	८४६१.८६
				योग:-	४९९४११६.७२

वृक्षारोपण कार्य वर्ष २०१७-१८

१	गड्ढा भरण कार्य	४८०८	प्रति गड्ढा	१.३९	६६८३.१२
२	गड्ढों में कीटनाशक मिलाना	४८०८	प्रति गड्ढा	०.१३	६२५.०४
३	गड्ढों हेतु मृदा सुधारक/गोबर की खाद का प्रयोग	४८०८	प्रति पौध	९.९२	४७६९५.३६
४	पौध का मूल्य (३ प्रतिशत अतिरिक्त पौध)	४९५२	प्रति पौध	७०.००	३४६६४०.००
५	तारबाड़ कार्य				
	अ- आर०सी०पी० खम्भों की प्रावटिंग ८:३:१ सीमेन्ट कंक्रीट	१५००	प्रति नग	१९६.००	२९४०००.००
	ब- खम्भों का स्थानीय ढुलान	१५००	प्रति नग	२.६८	४०२०.००
	स- तार की खिंचाई	३००००	प्रति मी०	०.८५	२५५००.००
६	पौधों का ढुलान (३ प्रतिशत अतिरिक्त पौध) १०-२० शिमी०	४९५२	प्रति	१७.४०	८६१६४.८०
७	पौधों का स्थानीय ढुलान	४८०८	प्रति	५.९१	२८४१५.२८
८	पौधारोपण, धाला बनवाई व तुरन्त सिंचाई	४८०८	प्रति	४.८७	२३४१४.९६
९	निराई, गुड़ाई व मल्लिंग निराई, गुड़ाई ३ बार	४८०८x३	प्रति	१.१२	१६१५४.८८
१०	सिंचाई कार्य अवतूहर से मार्च तक १२ बार	४८०८x१२	प्रति	२.८८	१६६१६४.४८

198

11	रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक का प्रयोग मूल्य राहित	8	प्रति ली०	600.00	4800.00
12	बुधारेपण बोर्ड	2	प्रति	8000.00	16000.00
13	विभागीय ट्रैक्टर व टंकर की मरम्मत सर्विसिंग आदि	8	प्रति	750.00	6000.00
14	बुधारेपण सुरक्षा हेतु श्रमिक पर व्यय माह जुलाई से मार्च तक 5 हे० पर 1	1x26x9	प्रतिदिन	174.00	40716.00
15	बन्धों की नार्गी साइड पर बीज बुलान तथा बीज कय	7.6926	प्रति हे०	4000.00	30770.40
16	क्षेत्र के निरीक्षण पर गाड़ी इत्यादि पर गेट्रोल ईंधन का व्यय	7.6926	प्रति हे०	2500.0	19231.50
16	जन सहभागिता हेतु कार्यक्रम आदि पर व्यय	7.6926	प्रति हे०	2500.00	19231.50
17	फोटो ग्राफी, एस०एस०पी०, प्लान्टेशन जनरल इत्यादि पर व्यय	7.6926	प्रति हे०	1100.00	8461.86
				योग:-	1190689.18

तृतीय चरण (अनुरक्षण प्रथम 20 प्रतिशत वीटिंग अप) वर्ष 2018-19

1	सिंचाई अप्रैल से जून	3846x6	प्रति	2.88	66458.88
2	सफल पौधों की निराई गुड़ाई 45 दिन में एक बार	3846x4	प्रति	1.12	17230.08
3	वीटिंग अप हेतु गड़ड़ा खुदान	962	प्रति	17.40	16738.80
5	टूटे हुए बन्धों का पुनः निर्माण कार्य	4808	प्रति घ०मी०	120.00	576960.00
6	पौध कय	991	प्रति	70.00	69370.00
7	पौध बुलान	991	प्रति	17.40	17243.40
8	पौधों का स्थानीय बुलान	962	प्रति	5.91	5685.42
9	पौधारेपण	962	प्रति	4.87	4684.94
10	निराई कार्य(अक्टूबर से मार्च तक 45 दिन में एक बार	4808x6	प्रति	1.12	32309.76
11	सिंचाई कार्य(अक्टूबर से मार्च तक प्रति माह 2 बार)	4808x12	प्रति	2.88	166164.48
12	रासायनिक/उर्वरक खाद/कीटनाशक दवा का मूल्य	8	प्रति	600.00	4800.00
13	तारबाड़ मरम्मत	10000	प्रति मीटर	0.85	8500.00
14	विभागीय ट्रैक्टर व टंकर की मरम्मत सर्विसिंग आदि	7.6926	प्रति	750.00	5769.45
15	सुरक्षा हेतु वाचर	1x26x12	प्रति दिन	174.00	54288.00
16	अन्य व्यय	7.6926	प्रति हे०	1100.00	8461.86
	योग :-				1054665.07

चतुर्थ चरण (अनुरक्षण द्वितीय 10 प्रतिशत वीटिंग अप) वर्ष 2019-20

1	सिंचाई अप्रैल से जून	4327x6	प्रति	2.88	74770.56
2	सफल पौधों की निराई गुड़ाई 45 दिन में एक बार	4327x4	प्रति	1.12	19384.96
3	वीटिंग अप हेतु गड़ड़ा खुदान	481	प्रति	17.40	8369.40
4	टूटे हुए बन्धों का पुनः निर्माण कार्य	2404	प्रति घ०मी०	120.00	288480.00
5	पौध कय	495	प्रति	70.00	34650.00
6	पौध बुलान	495	प्रति	17.40	8613.00
7	पौधों का स्थानीय बुलान	481	प्रति	5.91	2842.71
8	पौधारेपण	481	प्रति	4.87	2342.47

9	निराई कार्य(अक्टूबर से मार्च तक 45 दिन में एक बार)	4808x6	प्रति	1.12	32309.76
10	सिंचाई कार्य(अक्टूबर से मार्च तक प्रति गाह 2 बार)	4808x12	प्रति	2.88	166164.48
11	रासायनिक/चर्वक खाद/कीटनाशक दवा का मूल्य	8	प्रति	600.00	4800.00
12	तारबाड़ मरम्मत	5000	प्रति मीटर	0.85	4250.00
13	विभागीय ट्रैक्टर व टैंकर की मरम्मत सर्विसिंग आदि	8	प्रति	750.00	6000.00
14	सुरक्षा हेतु वाचर	1x26x12	प्रति दिन	174.00	54288.00
15	अन्य व्यय	7.6926	प्रति हे०	1100.00	8461.86
	योग :-				715727.20
पंचम चरण (तृतीय अनुसूचण) वर्ष 2020-21					
1	पौधों की सिंचाई 12 बार	4808x12	प्रति	2.88	166164.48
2	पौधों की निराई गुड़ाई 4 बार	4808x4	प्रति पौध	1.12	21539.84
3	इंजन आदि की मरम्मत	8	एक मुश्त	500.00	4000.00
4	सुरक्षा हेतु वाचर	1x26x12	प्रति वाचर	174.00	54288.00
5	सफल स्थापित पौधों में प्रूनिंग कार्य कराना	2000	प्रति पौध	3.00	6000.00
6	अन्य व्यय	7.6926	लगभग	1100.00	8461.86
	योग :-				260454.18
षष्ठम चरण (चतुर्थ अनुसूचण) वर्ष 2021-22					
1	पौधों की सिंचाई 12 बार	4808x12	प्रति	2.88	166164.48
2	पौधों की निराई गुड़ाई 4 बार	4808x4	प्रति पौध	1.12	21539.84
3	इंजन आदि की मरम्मत	8	एक मुश्त	500.00	4000.00
4	सुरक्षा हेतु वाचर	1x26x12	प्रति वाचर	174.00	54288.00
5	सफल स्थापित पौधों में प्रूनिंग कार्य कराना	2000	प्रति पौध	3.00	6000.00
6	अन्य व्यय	7.6926	लगभग	1100.00	8461.86
	योग :-				260454.18
सप्तम चरण (पंचम अनुसूचण) वर्ष 2022-23					
1	पौधों की सिंचाई 12 बार	4808x12	प्रति	2.88	166164.48
2	पौधों की निराई गुड़ाई 4 बार	4808x4	प्रति पौध	1.12	21539.84
3	इंजन आदि की मरम्मत	8	एक मुश्त	500.00	4000.00
4	सुरक्षा हेतु वाचर	1x26x12	प्रति वाचर	174.00	54288.00
5	सफल स्थापित पौधों में प्रूनिंग कार्य कराना	2000	प्रति पौध	3.00	6000.00
6	अन्य व्यय	7.6926	लगभग	1100.00	8461.86
	योग :-				260454.18
अष्टम चरण (षष्ठम अनुसूचण) वर्ष 2023-24					
1	पौधों की सिंचाई 12 बार	4808x12	प्रति	2.88	166164.48
2	पौधों की निराई गुड़ाई 4 बार	4808x4	प्रति पौध	1.12	21539.84
3	इंजन आदि की मरम्मत	8	एक मुश्त	500.00	4000.00

4	सुरक्षा हेतु वाचर	1x26x12	प्रति वाचर	174.00	54288.00
5	सफल स्तंभित पौधों में प्रूनिंग कार्य करना	2000	प्रति पौध	3.00	6000.00
6	अन्य व्यय	7.6926	लगभग	1100.00	8461.86
	योग :-				260454.18
नवम चरण (अष्टम अनुसंधान) वर्ष 2024-25					
1	पौधों की सिंचाई 12 बार	4808x12	प्रति	2.88	166164.48
2	पौधों की निराई गुड़ाई 4 बार	4808x4	प्रति पौध	1.12	21539.84
3	इंजन आदि की मरम्मत	8	एक मुश्त	500.00	4000.00
4	सुरक्षा हेतु वाचर	1x26x12	प्रति वाचर	174.00	54288.00
5	सफल स्तंभित पौधों में प्रूनिंग कार्य करना	2000	प्रति पौध	3.00	6000.00
6	अन्य व्यय	7.6926	लगभग	1100.00	8461.86
	योग :-				260454.18
दशम चरण (अष्टम अनुसंधान) वर्ष 2025-26					
1	पौधों की सिंचाई 12 बार	4808x12	प्रति	2.88	166164.48
2	पौधों की निराई गुड़ाई 4 बार	4808x4	प्रति पौध	1.12	21539.84
3	इंजन आदि की मरम्मत	8	एक मुश्त	500.00	4000.00
4	सुरक्षा हेतु वाचर	1x26x12	प्रति वाचर	174.00	54288.00
5	सफल स्तंभित पौधों में प्रूनिंग कार्य करना	2000	प्रति पौध	3.00	6000.00
6	अन्य व्यय	7.6926	लगभग	1100.00	8461.86
	योग :-				260454.18
एकदश चरण (नवम अनुसंधान) वर्ष 2026-27					
1	पौधों की सिंचाई 12 बार	4808x12	प्रति	2.88	166164.48
2	पौधों की निराई गुड़ाई 4 बार	4808x4	प्रति पौध	1.12	21539.84
3	इंजन आदि की मरम्मत	8	एक मुश्त	500.00	4000.00
4	सुरक्षा हेतु वाचर	1x26x12	प्रति वाचर	174.00	54288.00
5	सफल स्तंभित पौधों में प्रूनिंग कार्य करना	2000	प्रति पौध	3.00	6000.00
6	अन्य व्यय	7.6926	लगभग	1100.00	8461.86
	योग :-				260454.18
द्वादश चरण (दशम अनुसंधान) वर्ष 2027-28					
1	पौधों की सिंचाई 12 बार	4808x12	प्रति	2.88	166164.48
2	पौधों की निराई गुड़ाई 4 बार	4808x4	प्रति पौध	1.12	21539.84
3	इंजन आदि की मरम्मत	8	एक मुश्त	500.00	4000.00
4	सुरक्षा हेतु वाचर	1x26x12	प्रति वाचर	174.00	54288.00
5	सफल स्तंभित पौधों में प्रूनिंग कार्य करना	2000	प्रति पौध	3.00	6000.00
6	अन्य व्यय	7.6926	लगभग	1100.00	8461.86
	योग :-				260454.18
	कुल योग :-				10038831.61

सारांश			
		वर्तमान दरों के अनुसार धनराशि	भविष्य में कार्य आरम्भ होने के कारण 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ोतरी के आधार पर धनराशि
1	अग्रिम मृदा कार्य एवं वृक्षारोपण कार्य	6184805.90	6803286.49
2	अनुरक्षण कार्य प्रथम	1054665.07	1265598.08
3	अनुरक्षण कार्य द्वितीय	715727.20	930445.36
4	अनुरक्षण कार्य तृतीय	260454.18	364635.85
5	अनुरक्षण कार्य चतुर्थ	260454.18	390681.27
6	अनुरक्षण कार्य पंचम	260454.18	416726.69
7	अनुरक्षण कार्य षष्ठम	260454.18	442772.11
8	अनुरक्षण कार्य सप्तम	260454.18	468817.52
9	अनुरक्षण कार्य अष्टम	260454.18	494862.94
10	अनुरक्षण कार्य नवम	260454.18	520908.36
11	अनुरक्षण कार्य दसम	260454.18	546953.78
	योग :-	10038831.61	12645688.45
		अथवा	12645700.00

नोट :- श्रमिक तथा सामग्री दरों में वृद्धि होने के कारण अपर प्रमुख वन संरक्षक, उ०प्र०, लखनऊ के द्वारा हरित पट्टी पैटर्न वृक्षारोपणों की सीलिंग दरों में वृद्धि तथा आगामी वर्षों की वृद्धि को समायोजित करते हुए याचक विभाग से प्राक्कलन की धनराशि की मांग की जा रही है जो क्षतिपूर्क घनीकरण परियोजना हेतु आवश्यक है ।

(मुकेश कुमार गीना)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
मथुरा

(मनीष मिश्रा)
प्रभारी निदेशक
सांख्यिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक 1485 / 144 आगरा : दिनांक 23, सितम्बर, 2017

सेवा में,

वरिष्ठ प्रबन्धक (परियोजना)

गैल गैस लि०

बी-35 एवं 36 जुबली टावर

सेक्टर-1 नोवडा, उ०प्र०।

विषय :- गैल गैस लि० द्वारा 8"/6"/4" व्यास की पाइप लाइन बिछाने हेतु आगरा-भरतपुर-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11 के कि०मी० 33.150 से 42.950 तक 0.686 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मथुरा से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर परियोजना के अन्तर्गत कोसी-नन्दगोव रोड औद्योगिक क्षेत्र, सिंहागा-वृन्दावन, छटीकरा-गोवर्धन, रिंकाइनरी बी०पी०सी०एल० आउटलेट तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 एवं अन्य मार्गों के किनारे पाइप लाइन बिछाने हेतु 3.8463 हे० संरक्षित वनभूमि कुल 4.5323 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक-8बी०/यू०पी०/09/31/2017/एफ०सी०/225 दि० 22.08.2017

महोदय

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जो अधोहस्ताक्षरी के साथ आपको भी प्रेषित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा कतिपय शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गयी है :-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभावित वनभूमि के दुमने अर्थात् 1.372 हे० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव की आवश्यक धनराशि रु० 15.698 लाख ई-पोर्टल के द्वारा उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा कराकर प्राप्ति रसीद इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ०सी० दि० 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि रु० 4.29436 लाख ई-पोर्टल के द्वारा उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा कराकर प्राप्ति रसीद इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।

(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय से वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि "यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी"।

3. विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। इस कार्य हेतु आप सीमा स्तम्भ निर्माण हेतु रु० 1.30 लाख की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो "प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा" के नाम देय हो को जमा कराना होगा तत्पश्चात विधिवत स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा।

4. गैस पाइप लाइन डालने हेतु खुदाई के उपरान्त मलवे को ठीक प्रकार से उसी जगह पर भरा जायेगा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस कार्यालय में प्रेषित करें।

5. गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु ट्रेन्च द्वारा खुदाई 0.70 मी० की चौड़ाई में की जायेगी और कार्य समाप्त होने के उपरान्त स्वतः वनभूमि प्रत्यावर्तन समाप्त हो जायेगा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रेषित करें।

6. इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि कार्य करते समय किसी वृक्ष का पतन नहीं किया जायेगा।

7. इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियमों का पालन किया जा जायेगा।

भवदीय

(मनीष मिश्रा)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक

दिनांकित

प्रेषित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

(मनीष मिश्रा)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

प्रस्तावित वन भूमि का नेट प्रेजेन्ट वैल्यू (NPV) की गणना

जनपद आगरा में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टी0टी0जेड0 परियोजना के अन्तर्गत 4" इंच डायामेटर भतरपुर-फतेहपुर सीकरी गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु 0.6860 हे० संरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है, उसका क्षेत्रफल घनत्व 0.1 तथा खुले वन क्षेत्र से आच्छादित है। प्रभावित वन भूमि की नेट प्रेजेन्ट वैल्यू (NPV) की गणना निम्नानुसार है :-

1	प्रभावित संरक्षित वन भूमि	हे०	0.6860
2	नेट प्रेजेन्ट वैल्यू (NPV) की निर्धारित दर प्रति हे०	रु०	6,26,000.00
3	निर्धारित कुल धनराशि (0.6860x6,26,000.00)	रु०	4,29,436.00
	कुल धनराशि	रु०	4,29,436.00

15-11-2018
क्षेत्रीय वनाधिकारी
किशवली रेंज-आगरा

(मनीष मिश्रा)
ग्रामीण निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।
आगरा

जवकलन बाबत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क द्वारा टी0टी0जीड0 परियोजना के अन्तर्गत 4" डाया
 शतपुर-फतेहपुरसीकरी गैस पाइप लाईन बिछाने में 0.6860 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के
 बदले दुगने अर्थात् 1.372 है0 वन भूमि पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण रूनकता वन ब्लॉक में करना।

प्रभाग का नाम — सार्वजनिक वानिकी प्रभाग आगरा

जी0पी0एस0 रीडिंग

रैज का नाम — किराडवा

N-27°16'33.5" E-77°53'16.4"

संरक्षण क्षमता — 1.40 है0

N-27°16'27.8" E-77°53'24.8"

प्रति है0 संरक्षित क्षेत्र — 825

N-27°16'32.2" E-77°53'14.1"

वर्ग का नाम — रूनकता वन ब्लॉक

N-27°16'26.7" E-77°53'24.9"

विकास खण्ड — अछनेरा

कुल संरक्षण — 1.372

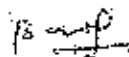
प्रथम चरण (अग्रिम मूदा कार्य)

क्र० सं०	कार्य विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	प्रति है0	1.40	67.50	94.50
2	मूदा/जल परीक्षण	प्रति है0	1.40	396.00	554.40
3	घनी दाब, घास भूज वगैरे खुरान कर श्रमिकों द्वारा फावड़े से	प्रति वर्ग मी०	8500	2.20	18700.00
4	गड़ढी का संरक्षण	प्रति गड़ढा	875	0.28	245.00
5	गड़ढी का खुरान (0.60X0.60X0.60)	प्रति गड़ढा	875	12.20	10675.00
6	तारबाड़ कार्य हेतु सामग्री क्रय				
	(अ) 1.85 मी० लम्बा (0.15X0.12) मी० आर०सी०सी० खम्भे का मूल्य	प्रति खम्भा	160	404.00	64640.00
	(ब) काटेदार तार का मूल्य	प्रति टन	0.40	84892.50	33957.00
	(स) काटेदार तार का दुलान	प्रति टन	0.40	LS	1000.00
7	अन्य व्यय			LS	1134.10
	योग :-				131000.00

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
 किरावली रैज

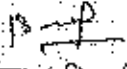
द्वितीय चरण (वृक्षारोपण)

क्र.सं.	कार्य विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	गड्ढों भरान (0.60X0.60X0.60) गोबर खाद मिलाकर कीटनाशक मिलाकर	प्रति गड्ढा	875	1.59	1391.25
2	गड्ढों हेतु गोबर खाद क्रय 1.0 म0फु0 प्रति गड्ढा	प्रति घ0मी0	25	879.50	21987.50
3	तारबाह कार्य				
	(अ) गड्ढों का खुदान कार्य (0.30X0.30X0.45)	प्रति गड्ढा	160	4.50	720.00
	(ब) खम्भों की ग्राउटिंग	प्रति खम्भा	160	196.00	31360.00
	(स) खम्भों का स्थानीय दुलान	प्रति खम्भा	160	5.50	880.00
	(द) कांटेतर की खिचाई	प्रति मी0	3200	0.44	1408.00
4	बड़ी थैली पौध क्रय	प्रति पौध	901	80.00	72080.00
5	बड़ी थैली पौध 8 से 12 फीट ऊँचाई का दुलान कार्य 21 से 60 किमी0	प्रति पौध	901	11.40	10271.40
6	बड़ी थैली पौध का स्थानीय दुलान	प्रति पौध	901	1.95	1756.95
7	पौधरोपण आवलाइदी एवं तुरन्त सिंचाई	प्रति पौध	875	7.50	6562.50
8	पौधों की सिंचाई माह में दो बार (875X18)	प्रति पौध	15750	1.70	26775.00
9	पौधों की निचाई मुड़ाई तीन बार (875X3)	प्रति पौध	2625	0.90	2362.50
10	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक	प्रति मा0दि0	312	174.00	54288.00
11	वृक्षारोपण बोर्ड का निर्माण	प्रति	1	4500.00	4500.00
12	अन्य व्यय			L.S.	1656.90
	योग				238000.00


 क्षेत्रीय वन अधिकारी,
 किसानली रेंज

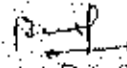
तृतीय चरण (अनुमान प्रथम)

कार्य विवरण	इकाई	मात्रा	दर	घनराशि
2	3	4	5	6
बड़ी थैली पौध कस	प्रति पौध	180	80.00	14400.00
बड़ी थैली पौध 8 से 12 फीट ऊँचाई का डूलान कार्य 21 से 60 किमी०	प्रति पौध	180	11.40	2052.00
पौधों की सिंचाई माह में दो बार (875X24)	प्रति पौध	21000	1.70	35700.00
पौधों की निराई गुड़ाई तीन बार (875X3)	प्रति पौध	2625	0.90	2362.50
सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक	प्रति मा०दि०	312	174.00	54288.00
कालेदार तार फोसिंग सम्मत कार्य			L.S.	2000.00
अन्य व्यय			L.S.	1197.50
योग :-				112000.00


 क्षेत्रीय वन अधिकारी,
 किरावली रेंज

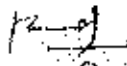
चतुर्थ चरण (द्वितीय अनुसूचन)

क्र.सं.	कार्य विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
	बड़ी थैली पौध कय	प्रति पौध	90	80.00	7200.00
2	बड़ी थैली पौध 8 से 12 फीट ऊँचाई का बुलान कार्य 21 से 60 किमी०	प्रति पौध	90	11.40	1026.00
3	पौधों की सिंचाई माह में दो बार (875X24)	प्रति पौध	21000	1.70	35700.00
4	पौधों की निराई गुड़ाई तीन बार (875X3)	प्रति पौध	2625	0.90	2362.50
5	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक	प्रति मा०दि०	312	174.00	54288.00
6	अन्य व्यय			L.S.	1423.50
	योग :-				102000.00


 क्षेत्रीय वन अधिकारी,
 किरावली रेंज

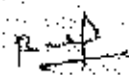
पंचम चरण (तृतीय अनुसूची)

कार्य विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
2	3	4	5	6
पौधों की सिंचाई माह में दो बार (875X24)	प्रति पौध	21000	1.70	35700.00
पौधों की निराई गुड़ाई तीन बार (875X3)	प्रति पौध	2625	0.90	2362.50
सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक	प्रति मा0दि0	312	174.00	54288.00
अन्य व्यय			L.S.	1649.50
योग :-				94000.00


 क्षेत्रीय वन अधिकारी,
 किरावली रेंज

षष्ठम चरण (चतुर्थ अनुसूचन)

कार्य विवरण	इकाई	मात्रा	दर	घनराशि
2	3	4	5	6
पौधों की सिंचाई माह में दो बार (875X24)	प्रति पौध	21000	1.70	35700.00
2 पौधों की निराई गुड़ाई तीन बार (875X3)	प्रति पौध	2625	0.90	2362.50
3 सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक	प्रति मा०दि०	312	174.00	54288.00
4 अन्य व्यय			L.S.	1649.50
योग :-				94800.00


 क्षेत्रीय वन अधिकारी,
 किसानली रेंज

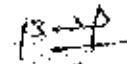
सप्तम चरण (पंचम अनुसूचना)

क्रमांक	कार्य विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
2		3	4	5	6
1	पौधों की सिंचाई गाह में दो बार (875X12)	प्रति पौध	10500	1.70	17850.00
2	पौधों की सिंचाई गुड़ाई तीन बार (875X3)	प्रति पौध	2625	0.90	2362.50
3	सुरक्षा क्षमिक का पारिश्रमिक	प्रति गांव	312	174.00	54288.00
4	अन्य व्यय			L.S.	499.50
	योग :-				75000.00

13-12-2019
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
किरावली रेंज

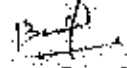
अष्टम चरण (षष्ठम अनुक्षण)

क्र.सं.	कार्य विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
	पौधों की सिंचाई पाइप में दो बार (875X12)	प्रति पौध	10500	1.70	17850.00
2	पौधों की निराई गुड़ाई तीन बार (875X3)	प्रति पौध	2625	0.90	2362.50
3	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक	प्रति मा/दि०	312	174.00	54288.00
4	अन्य व्यय			L.S.	499.50
	योग				75000.00


 क्षेत्रीय वन अधिकारी,
 किरावली रेंज

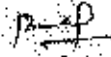
नवम चरण (सप्तम अनुसूचक)

कार्य विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
2	3	4	5	6
पौधों की सिंचाई साह से दो बार (875X6)	प्रति पौध	5250	1.70	8925.00
2. पौधों की सिंचाई गुड़ाई तीन बार (875X3)	प्रति पौध	2625	0.90	2362.50
3. सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक	प्रति गांव/दि०	312	174.00	54288.00
4. अन्य व्यय			L.S.	424.50
योग				66000.00


 क्षेत्रीय वन अधिकारी,
 किसानपली रेंज

दशम चरण (अष्टम अनुसूची)

क्र.सं.	कार्य विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
	पौधों की सिंचाई माह में दो बार (875X6)	प्रति पौध	5250	1.70	8925.00
2	पौधों की निराई गुड़ाई तीन बार (875X3)	प्रति पौध	2625	0.90	2362.50
3	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक	प्रति गांव/दि०	312	174.00	54288.00
4	अन्य व्यय			L.S.	424.50
	योग :-				66000.00


 क्षेत्रीय वन अधिकारी
 किरावली रेंज

ग्यारवां चरण (नवम अनुसूचि)

कार्य विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
2	3	4	5	6
पौधों की सिंचाई माह में दो बार (875X3)	प्रति पौध	2625	1.70	4462.50
2 पौधों की गिराई गुड़ाई तीन बार (875X3)	प्रति पौध	1750	0.90	1575.00
3 सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक	प्रति मा0दि0	312	174.00	54288.00
4 अन्य व्यय			L.S.	674.50
योग :-				61000.00

13-11-17
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
फिरावली रेंज

बारहवां चरण (दशम अनुस्क्षण)

क्र.सं.	कार्य विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
2	पौधों की सिंचाई माह में दो बार (875X3)	प्रति पौध	2625	1.70	4462.50
3	पौधों की सिंचाई गुड़ाई तीन बार (875X3)	प्रति पौध	1750	0.90	1575.00
4	सुरक्षा श्रमिक का पारिश्रमिक	प्रति माण्डि	312	174.00	54288.00
	अन्य व्यय			L.S.	674.50
	योग				61000.00


क्षेत्रीय वन अधिकारी,
किरावली रेंज

सारांश

क्र.सं.	कार्य विवरण	धनराशि	अविष्य में कार्य आरम्भ होने के कारण 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ोतरी के आधार पर धनराशि
1	अग्रिम मृदा कार्य		
2	वृक्षारोपण कार्य	131000.00	131000.00
3	अनुरक्षण प्रथम	238000.00	238000.00
4	अनुरक्षण द्वितीय	112000.00	123200.00
5	अनुरक्षण तृतीय	102000.00	122400.00
6	अनुरक्षण चतुर्थ	94000.00	122200.00
7	अनुरक्षण पंचम	94000.00	131600.00
8	अनुरक्षण षष्ठम	75000.00	112500.00
9	अनुरक्षण सप्तम	75000.00	120000.00
10	अनुरक्षण अष्टम	66000.00	112200.00
11	अनुरक्षण नवम	66000.00	118800.00
12	अनुरक्षण दशम	61000.00	115900.00
	कुल योग :-	1175000.00	1569800.00

नोट- उपर्युक्त प्रावधानों में पूर्व उचित प्रावधानों से अधिक धनराशि का कारण पत्रों में वर्णित प्रावधानों की वृद्धि के कारणों पर लगी हुई धनराशि (अनुमानित) का अर्थ है।

प्रभारित अधिकारी
आस्था उपाय
आस्था

उपप्रभारित अधिकारी
आस्था उपाय
आस्था

राज्य
राज्य वन अधिकारी,
किरावली रेंज